निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 142/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

विनोद कुमार पुत्र भगवान सहाय जाति जाट निवासी नेकावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री चिमन लाल मीणा आर ए एस पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. ग्यारसी लाल पुत्र प्रभात
3. भंवर लाल पुत्र प्रभात

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नेकावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ के समक्ष लम्बित प्रकरण संख्या 102/2021 ब उनवानी ग्यारसी लाल बनाम रतन लाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री संदीप शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या की ओर से ।

निर्णय दिनांक 19.09.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 102/2021 ब उनवानी ग्यारसी लाल बनाम रतन लाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 07.06.2022 को सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक कई बार सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जवारामगढ से आगामी तारीख पेशी नियत करने बाबत निवेदन किया गया, परन्तु कोई तारीख पेशी नहीं दी गई तथा उसी समय अप्रार्थी को बुला कर यह कहा कि मैं इसमें आज ही तेरे पक्ष में में निर्णय पारित कर दूंगा। दिनांक 21.02.2022 को प्रार्थी जब न्यायालय में आगामी तारीख पेशी के सबंध में तलाश करने गया तो अप्रार्थी संख्या 2 चैम्बर में मौजूद मिला तथा पीठासीन अधिकारी

जिला कलक्टर
जयपुर

से बात कर रहे थे। अप्रार्थी के पुत्र ने चैम्बर से बाहर आकर प्रार्थी को धमकी दी की साहब से हमारी बात हो चुकी है, आप यहां क्यों आते हो। फैसला तो हमारे पक्ष में होकर रहेगा। उक्त दिवस की घटना से प्रार्थी को यह पूर्ण अंदेशा है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के प्रभाव में है तथा विचाराधीन प्रकरण में सही न्याय निर्णय नहीं कर सकते है तथा प्रार्थी के साथ अन्याय होने की सम्भावना है अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय निर्णय की आशा नहीं है। इस कारण प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण नहीं चाहता है। प्रार्थी द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरूद्व भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो दिनांक 05.05.2022 को खारिज हो चुका है। अब नये पीठासीन अधिकारी के आने पर उनके विरूद्व भी यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जो तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रभाव शून्य होने से दिनांक 05.05.2022 को खारिज हो चुका है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.07.2022 नये पीठासीन अधिकारी के आने पर उनके विरूद्व भी यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण मे अनावश्यक विलम्ब किये जाने की प्रार्थी की मन्शा स्पष्ट जाहिर होती है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **19.09.2022** को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर